अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक -- ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 261/2012

मो० शहादत — अपीलार्थी

बनाम

मो० अब्बास एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, जिलाः सुपौल के द्वारा भूमि विवाद वाद सख्याः 75/2011–12 में पारित आदेश दिनांकः 21.06.2012 ई० के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में वाद के संबंध में यह कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा जिला जनशिकायत प्रभारी पदाधिकारी के पत्रांकः 201/सपत्र दिनांकः 07.02.2012 के आलोक में उक्त वाद दर्ज कर सुनवाई की गयी तथा प्रतिवादीगण के द्वारा भी जनता दरबार में दी गई आवेदन के साथ उक्त वाद में ही समाहित कर एक साथ सुनवाई की गई है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह भी कथन करते है कि संदर्भ वाद में विवादी भूमि मौजाः गोविन्दपुर (नन्दना), थाना नः 313 अंचलः त्रिवेणीगंज, जिलाः सुपौल का खाता 313 खेसरा 270, 271, 272 के अंतर्गत कुल रकवाः 01 बीघा 15 कट्ठा 16 धुर से संबंधित है। जबकि आवेदक के द्वारा दाखिल वाद में खाता पुरानाः 65, खेसरा पुरानाः 270, 271, 272 रकवाः 01 बीघा 15 कट्ठा 16 धुर चौहद्दी उत्तरः सीमा अररिया वो अनवर, दक्षिणः मोहम्मद मियाँ वो सडक, पूरबः सीमा अररिया जिला वो हदीश वो डोमी वो पश्चिमः अलीमउद्दीन मियाँ दाखिल है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी कथन करते है कि खाता पुरानाः 65 खेसरा पुरानाः 270, 271, 272 के अंतर्गत कुल रकवाः 01 बीघा 15 कट्ठा 16 धुर की भूमि अपीलार्थी/वादी के पिता– करामत पे०– लालचन्द मियाँ के नाम से हासिल था, जिसका जमाबंदी संख्याः 97

अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम से ही कायम था तथा पिता के मरने के उपरांत अंचल में पंजी– दो उपलब्ध नहीं रहने के कारण पूर्व से कायम जमाबंदी के आधार पर मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं करने के कारण आवेदक के द्वारा जमाबंदी कायम वाद संख्याः 08/2005 न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज में अपीलार्थी/वादी के द्वारा दाखिल किया गया था जिस वाद में दिनांकः 15.12.10 को अपीलार्थी/वादी के पक्ष में जमाबंदी कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश किया गया तथा आदेश के आलोक में जमाबंदी नं०: 728 अपीलार्थी/वादी के नाम से दर्ज होकर वर्षः 2010–11 तक का मालगुजारी रसीद भी प्राप्त है। जिस भूमि पर करामत मियॉ के सभी लड़के के बारिसान घर बनाकर रहते चले आ रहे हैं। जमाबंदी वाद संख्याः 08/2005 के आदेशानुसार अंचल कार्यालय के द्वारा खाता पुरानाः 65, खेसरा पुरानाः 270, 271, 272 रकवाः 01 बीघा 15 कट्ठा 16 धूर संदर्भ में आम सूचना निर्गत किया गया, किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करने पर अपीलार्थी/वादी के नाम से दखल कब्जा के आधार पर अपीलार्थी/वादी के पक्ष में जमाबंदी नं०: 728 कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी के जमाबंदी की भूमि जिसका भेस्टिग रिटर्न भी अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम है कि भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा जबर्दस्ती दखल कब्जा कर लिये जाने से विवाद उत्पन्न हुआ, जिस कारण से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दाखिल किया गया तथा जमाबंदी की भूमि पर दखल की मॉग की गई। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रतिवादीगण के दखल कब्जा की भूमि का कोई चौहद्दी दर्ज किये बिना एवं प्रमाण के विपरीत भूमि विवाद के अन्तर्गत बिना कोई स्थलीय जॉच किये, बगैर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट्स के विज्ञ अधिवक्ता लिखित जवाब एवं बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि संबंधित वाद की कार्रवाई रेस्पोण्डेन्ट मो० अब्बास एवं अन्य साथ ही अपीलार्थी के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के समक्ष जनता दरबार में दिये गये आवेदन के आधार पर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा 4 अंतर्गत दायर भूमि विवाद वाद संख्याः 75/11–12 के साथ प्रारंभ हुई।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि उपरोक्त वाद मौजाः गोविन्दपुर, थाना संख्याः 313, अंचलः त्रिवेणीगंज अंतर्गत खाता संख्याः 264/65/226, खेसरा संख्याः 270, 271, एवं 272 के कुल रकवाः 1 बीघा 15 कट्ठा 16 धुर भूमि हेतु दायर किया गया था। उपरोक्त खाता, खेसरा की भूमि दरभंगा के महाराज की गैर मजरूआ खास भूमि थी एवं इस भूमि को मुकेश्वर सिंह के नाम से बंदोबस्त किया गया वो दरभंगा मजाराज के द्वारा रिटर्न मुकेश्वर सिंह के नाम से दाखिल किया गया वो स्पोण्डेन्ट्स के पिता मजिद मियॉ ने 10 डी० भूमि का पर्चा बिहार सरकार से प्राप्त किया तथा पर्चा प्राप्त करने के उपरांत रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 2 एवं 3 के नाम से जमाबंदी संख्याः 468 कायम हुआ वो बिहार सरकार द्वारा मो० मुसाफिर के नाम से 03 डी० भूमि का पर्चा उन्हें दिया गया एवं उपरोक्त बासगीत पर्चा के आधार पर जमाबंदी संख्याः 163 मो० मुसाफिर के नाम से कायम हुआ। इसी प्रकार रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 5 मो० मजलुम के नाम से 10 डी० भूमि का पर्चा निर्गत हुआ एवं उपरोक्त बासगीत पर्चा के आधार पर मो० मजलूम के नाम से जमाबंदी संख्याः 471 कायम हुआ।

रेस्पोण्डन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि मुकेश्वर सिंह ने रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 1 के पिता मो० अब्बास को दिनांकः 30.07.2002 को निबंधित बिक्री पत्र के माध्यम से बिक्री कर दिया। उपरोक्त निबंधित बिक्रय दस्तावेज के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 1 मो० तसलीम के नाम से जमाबंदी संख्या 554 चल रही है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में

जमाबंदी वाद संख्याः 08/2005 में पारित आदेश दाखिल किया गया है जिसमें खाता संख्याः 65 का जिक्र किया गया है, परतु संबंधित वाद खाता संख्याः 313 एवं 50 हेतु दायर किया गया था अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश इस वाद पर लागू नहीं होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा